सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार तिथि 04 फाल्गुन, 1933 (श०) / 23 फरवरी, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—06

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	03
(2) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	01
(3) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	01
(4) सहकारिता विभाग ..	..	..	01
		कुल योग ..	06

विलम्ब का औचित्य

1. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर में स्वच्छ पेय जलापूर्ति हेतु वर्ष 2010 में 38 बोरिंग की स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु आजतक उक्त 38 में से एक भी बोरिंग का काम प्रारम्भ भी नहीं किया गया है, जिसके कारण पटना शहर के लोग शुद्ध पेयजल की सुविधा से वंचित हैं, यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में इतने विलम्ब का औचित्य क्या है ?

दोषी पर कार्रवाई

डॉ० अच्युतानन्द--स्थानीय हिन्दी दैनिक दिनांक 4 दिसम्बर, 2011 को प्रकाशित ''शौचालय निर्माण की धीमी गति से स्वच्छता अभियान को झटका'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि फरवरी, 2011 तक मात्र 29 लाख शौचालय ही बनाए गए हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि खुले में शौच जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में 80 फीसदी लोग गम्भीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लक्ष्य से कम शौचालयों के निर्माण के लिए दोषी पर कार्रवाई करते हुए लक्ष्य को पूरा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

3. श्री अवनीश कुमार सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक दिनांक 6 जनवरी, 2012 को प्रकाशित शीर्षक ''केन्द्र के पैसा देने के बाद भी नहीं खरीदी बसें'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिये जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत वर्ष 2009 में राज्य की राजधानी पटना के लिये 100 बसें एवं बोध गया के लिये 25 बसों की खरीद करने के लिये 12 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की थी जिसमें से 6 करोड़ रुपये उसी वक्त बिहार सरकार को उपलब्ध करा दिये गये थे परन्तु दो वर्ष बीत जाने के बावजूद आजतक उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया है, यदि हां, तो उक्त राशि के उपयोग के लिए सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

4. श्री विक्रम कुँवर--स्थानीय हिन्दी दैनिक दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित ''पुलिस ने किया आठ ट्रक अनाज जप्त'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के अम्बेदकर चौक व प्रखण्ड मुख्यालय के समीप सात ट्रक एफ०सी०आई० का अनाज बरामद किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अनाज सीवान एफ०सी०आई० गोदाम से गेहूं लादकर हाजीपुर एवं पटना कालाबाजारी करने हेतु भेजा जा रहा था जिसे छपरा के अवतार नगर थाना के प्रभारी ने जप्त कर लिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित पदाधिकारी को दण्डित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

धान का क्रय

5. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक दिनांक 31 जनवरी, 2012 को प्रकाशित शीर्षक ''धान अधिप्राप्ति को कब मिलेगी गति'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने 30 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है तथा अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार पैक्सों से बिहार राज्य खाद्य निगम ने मात्र 10 हजार मे० टन ही धान खरीदा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जनवरी माह के अन्त तक 10 प्रतिशत ही धान की खरीद की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों को बिचौलियों के रक्षार्थ समर्थन मूल्य पर लक्ष्य के अनुरूप धान खरीद हेतु कौन-सी कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाने की व्यवस्था

6. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर के मुख्य 29 नालों का पानी बिना परिशोधित हुए गंगा नदी में गिरता है जिससे पवित्र गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, यदि हां, तो क्या सरकार ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर सभी नालों के गन्दे पानी को परिशोधित कर गंगा में गिराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 23 फरवरी, 2012 (ई०)।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 104-डी०टी०पी०--450